डाक और तार विभागों के विभागेतर कर्मचारियों का नियमित किया जाना

2397. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई भर्ती पर लगी रोक के कारण विभागेतर कर्मचारियों को नियमित विभागीय संवर्ग में नियमित किए जाने की प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों से रुकी हुई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है तथा इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां ।

(ख) पोस्टमैन तथा ग्रुप "घ" पदों पर नियुक्तियां करने के लिए 11-7-86 से अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को पाबंदी आदेशों से मुक्त कर दिया गया है । नियुक्ति से पूर्व उन्हें परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी ।

डाक तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का नियमित किया जाना

2398. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री 21 जुलाई, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 204 के दिए गए उत्तर को देखेंगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि वर्ष 1984 में ली गई विभागीय परीक्षा में सफल हुए अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को पोस्टमैन संवर्ग में नियमित किए जाने के लिए अथवा पोस्टमैन संवर्ग में जब भी रिक्तियां हों तब इस संवर्ग में उन्हें रखने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सफल उम्मीदवारों को, जिनकी दिसम्बर, 1986 में डाक्टरी जांच की गई थी और जो योग्य पाए गए थे, पश्चिमी प्रभाग (डिवीजन) नई दिल्ली द्वारा अभी तक खपाया नहीं गया है, जबकि इस डिवीजन में कई व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उन उम्मीदवारों को कब तक नियमित करने का विचार रखती है जो सात वर्षों से अधिक समय से पोस्टमन/स्टाम्प वेंडर के पद पर अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) नई दिल्ली, पश्चिम मंडल के चौबीस प्रत्याशियों में से अभी तक 13 को पोस्टमैन के बतौर नियुक्त किया गया है । शेष 11 प्रत्याशियों को संबंधित कोटा में स्पष्ट रिक्त होने पर नियमित कर दिया जायेगा । 11 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशियों की दिसम्बर, 1986 में स्वास्थ्य परीक्षा करा ली गई थी । अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को भी पोस्टमैनों के छुट्टी पर चले जाने के कारण पद रिक्त होने पर दिहाड़ी पर लगाया जा सकता है परन्तु अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को केवल उस स्थिति में नियमित किया जा सकता है यदि दीर्घकालिक पद रिक्त हों ।

/ Sex Determination Clinics

2399. SHRI ASHWANI KUMAR:
SHRI LAL K. ADVANI:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state·

(a) whether his attention has been drawn to a report that appeared in the 'Hindustan Times' dated December 20, 1986 to the effect that in 1982 in Bombay alone there were about 10 "Sex Determination Clinics" while today there are about 500-600 clinics there profiteering on the resulting killings of the female foetuses which were estimated to be about 40,000 in 1985, if so, what is the estimated number of such clinics in the various metro cities and also in the country; and